न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–31/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती बुद्धि देवी बेवाह श्री गंगाराम,
2. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
3. नारायण उर्फ रोशन पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
4. नेतराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
5. अनिता पुत्री स्व0 श्री गंगाराम,
6. मंजूबाई पुत्री स्व0 श्री गंगाराम जातियान कोली निवासीयान हाल विवेकानन्द नगर, सैक्टर–4, शहर अलवर राज0 ।
7. रूकमणी पुत्री स्व0 श्री गंगाराम पत्नि श्री शिवलाल जाति कोली निवासी विवेकानन्द नगर, सैक्टर–4, शहर अलवर राज0 हाल निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक गंगाराम ।

.....अपीलांटान/वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति कोली निवासी विवेकानन्द नगर, शहर अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/प्रतिवादी

2. बाबूलाल पुत्र कजोड़ाराम,
3. जगनलाल पुत्र कजोड़ाराम,
4. सुआलाल पुत्र स्व0 चन्दर,
5. कैलाश पुत्र स्व0 चन्दर,
6. डालचन्द पुत्र स्व0 चन्दर,
7. राजेश पुत्र चन्दर,
8. भौती पुत्री स्व0 चन्दर पत्नि नवल किशोर,
9. मीनाबाई पुत्री स्व0 चन्दर,
10. मु0 छोटी बेवाह चन्दर जातियान कोली निवासीयान विवेकानन्द नगर, शहर अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0/प्रति0

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 सं0 1 लापता ।
3. श्री सत्यनारायण शर्मा अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 2 ल0 10

12/15

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.05.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटान ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सालपुर तहसील मालाखेड़ा में स्थित विवादित आराजी ख0 नं0 1065 रकबा 0.42 है0, 1066 रकबा 0.01 है0, 1067 रकबा 0.33 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 है0, 1055 रकबा 0.12 है, 1056 रकबा 0.13 है, 1057 रकबा 0.26 है0 के क्रमश पूर्ण हिस्से व 1/4 हिस्से के खातेदार गंगाराम की मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल बतौर वारिस विवादित आराजी में खातेदार दर्ज हो कर काबिज काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम 10 वर्षो से अधिक समय से लापता है । मोहनलाल के हिस्से की आराजी पर वादीगण बहिस्सा बराबर काबिज काश्त हैं । वादीगण अपनी आराजी का अन्तरण करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता वादीगण को दिनांक 5.5.2007 को हुई । नियमानुसार प्रतिवादी सं0 1 के विवादित आराजी ख0 नं0 1065, 1066 व 1067 में 1/8 हिस्से व 1055, 1056 व 1057 में 1/32 हिस्से को वादगण सं0 1 ल0 7 के हिस्सों में मर्ज करते हुए बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 बावजूद अखबार साया के भी उपस्थित नहीं आया । प्रतिवादी सं0 2 ल. 10 ने इकबाल दावा/जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वार कैम्प सालपुर में वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण दिनांक 02.06.2016 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पे0 सं0 1 की लापता होने की नोटिस पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपीलांटान को कोई जानकारी नहीं है तथा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कैम्प कोर्ट में निर्णय कर दिया । आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है तथा अपीलांट/वादीगण को वाद की सुनवाई कैम्प कोर्ट में दिये जाने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जबकि यह तथ्य पत्रावली में आया है कि अपीलांट ग्राम सालपुर में नहीं रहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह तथ्य साबित था कि असल प्रतिवादी/रेस्पो0 मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम वक्त दायरी दावा से पूर्व 10 वर्षो से अधिक समय से लापता था जिसके बारे में कोई जानकारी किसी प्रकार की जीवित अथवा मृत्यु होने संबंधी नहीं रही है । ऐसी सूरत में कानून की यह उप धारणा है कि किसी भी व्यक्ति के 7 सालों से अधिक से लापता होने की दशा में उसके सिविल मृत्यु होने की उपधारण की जायेगी ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट कानून की मंशा के विपरीत है क्योंकि उक्त रिपोर्ट अपीलांट व तर0 रेस्पे0 की अनुपस्थिति में की गई है । इसलिए उक्त रिपोर्ट साक्ष्य मे ग्राह्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व तथ्यों व दस्तावेजों का कोई अवलोकन नहीं किया और ना ही तथ्यों की गम्भीरता से विवेचना की । जबकि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वार में पारित किया है जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि उन्हें साक्ष्य व सुनवाई तथा यह सिद्ध करने का मौका ही नहीं दिया गया कि प्रतिवादी मोहनलाल कितने वर्षो पूर्व लापता है तथा वह कानूनन किस प्रकार लापता फौत होना जाहिर होता है । अतः हमें पुनः सुनवाई व साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर दिया जावें । न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय से पूर्व वादीगण को न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए ।

न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश है जो काबिल स्वीकार है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा रेस्पो0/प्रतिवादी जो वादी/अपीलांट का पिता व पति है जो लगभग 10 वर्षो से लापता है । इस बिन्दु पर भी अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना चाहिए था जो तहत न्यायालय ने नहीं किया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु एवं प्रकरण को कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वार में रखने का विधिवत् नोटिस जारी करते लेकिन तहत न्यायालय ने कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वारा हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा न ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया । इसके अलावा प्रकरण में रेकार्ड के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए रेकार्ड के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण व निर्णय पारित करना चाहिए था । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया गया ।

इन समस्त बिन्दुओं का तहत न्यायालय पुनः परीक्षण करके अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करना चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

12/15

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर मुख्यालय अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में रेकार्ड, साक्ष्य प्रदान करने का समुचित अवसर देकर पुनः गुणावगुण व निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर